



133

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

R. 946-PBR/14

प्र.क्र /

/निगरानी/ 2014

मुनीर रजा वल्द शकील रजा

उम- 40 वर्ष, निवासी- जूनियर एचआईजी-1

सरस्वती नगर जवाहर चौक भोपाल

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1- श्रीमती अंजली सिंह पति श्री डी.वी सिंह
उम लगभग- 38 वर्ष
निवासी- म.न. 58 आमपाली एंक्लेव चूनाभट्टी भोपाल, 462016
- 2- श्री शकील रजा आ. स्व. गजनफर हुसैन
उम-71 वर्ष, निवासी जूनियर एचआईजी-1 सरस्वती नगर भोपाल
- 3- श्री शमीम रजा उम लगभग 41 वर्ष
श्री कैसर रजा उम लगभग 50 वर्ष
- 4- श्री अनवर रजा जैदी उम लगभग 44
- 5- रियाज रजा उम लगभग 36
- 3 से 6 समस्त वल्द जाफर रजा जैदी एवं निवासागण म.न. 02 15
ग्राम प्रेमपुरा भदभदा रोड वनविहार के पास भोपाल

शकील रजा (मृतक) द्वारा वारिसान:-	
(1)	श्रीमती शमीम जहरा पति स्व. श्री शकील रजा निवासी-एच.आई.जी.-1, सरस्वती नगर, जवाहर चौक, भोपाल
(2)	श्रीमती नूरजहां खान, पति श्री मुजीब उर रहमान खान पुत्री स्व. शकील रजा निवासी-एम.आई.जी.-18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा भोपाल
(3)	श्रीमती मुमताज अहमद पति श्री अदनान अहमद पुत्री स्व. शकील रजा, निवासी-एम.आई.जी.-18 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा भोपाल
(4)	श्रीमती बिलकिस नकवी, पति श्री अलीशान नकवी, पुत्री स्व. श्री शकील रजा निवासी-प्लेट नं.1202, टावर-12, वेलीव्यू स्टेट, फरीदाबाद रोड, ग्वाल पहाड़ी, गुडगांव, हरियाणा
(5)	श्रीमती जौनत रजा पति श्री मजहर हुसैन, पुत्री स्व. श्री शकील रजा निवासी-प्लेट नं.1202, टावर-12, वेलीव्यू स्टेट, फरीदाबाद रोड, ग्वाल पहाड़ी, गुडगांव, हरियाणा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता -1959

माननीय महोदय

निगरानीकर्ता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना टी.टी.नगर भोपाल के प्र.क्र. 9/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 23-01-14 (जो कि तहसीलदार राज. परि. वृत् टी.टी.नगर जिला भोपाल के प्र.क्र 23/अ-6/08-09 में पारित आदेश दि. -09-07-09, प्र. क्र. -2/अ-3/08-09 में पारित आदेश दिनांक 2-08-09 एवं प्र. क्र 1/अ-6/08-09 में पारित आदेश दि -10-12-08 से उद्धृत है) से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक से निर्धारित अवधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण में शामिल



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 946-पीबीआर/14

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/9/18	<p>प्रकरण में संहिता की धारा 32 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के निगरानीधीन आदेश में यह उल्लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 1440/2011 के अंतिम निराकरण बाद प्रकरण में पुनः कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हो । निगराकार ने अब बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1440/2011 का अंतिम निराकरण हो चुका है । अतः यह निगरानी अब निरर्थक होने से समाप्त की जाती है ।</p> <p></p>	<p> अध्यक्ष</p>